राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 846वी बैठक दिनांक 25.04.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 846वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11002/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
2.	11011/2023	1 (a)	भोपाल	मुरूम खदान	For ToR	स्वीकृत
3.	11005/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	11016/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	11015/2023	1 (a)	देवास	मुरुम खदान	For ToR	स्वीकृत
6.	10827/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
7.	11003/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
8.	11014/2023	1 (a)	गुना	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	10970/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
10.	11001/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
11.	11006/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर एवं एम–सेण्ड़ खदान	For ToR	स्वीकृत
12.	11007/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
13.	10823/2023	1 (a)	शाजापुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
14.	11017/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
15.	11012/2023	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16.	11008 / 2023	1 (a)	भोपाल	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
17.	10916 / 2023	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR अनुशंसित नहीं	Delisted
18.	11010 / 2023	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
19.	11013 / 2023	1 (a)	गुना	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
20.	10100 / 2023	7(da)	विदिशा	बायोमेडिकल वेस्ट	ToR अनुशंसित नहीं	Close
21.	10101 / 2023	7(da)	विदिशा	बायोमेडिकल वेस्ट	ToR अनुशंसित नहीं	Close
22.	10380 / 2023	1 (a)	दतिया	क्वार्टज व फेल्सपार	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
23.	9684 / 2023	1 (a)	कटनी	चूना पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
24.	7341 / 2020	1 (a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	10574 / 2023	8 (a)	भोपाल	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
26.	4232 / 2015	1 (a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
27.	601 / 2010	1 (a)	जबलपुर	डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
28.	22 / 2008	1 (a)	जबलपुर	लेटेराईट एवं हेमटाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
29.	1857/2014	1 (a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
30.	9623 / 2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृति
31.	10040 / 2023	1 (a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
32.	2470 / 2015	1 (a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
33.	6564 / 2019	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
34.	P2 / 10 / 2023	1 (a)	आगर–मालवा	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	निर्णय यथावत
35.	10589 / 2023	1 (a)	भोपाल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
36.	9938 / 2023	1 (a)	अलीराजपुर	पत्थर खदान	Delist	Relist एवं SEAC को परीक्षण हेतु

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

						अग्रेषित
37.	9939/2023	1 (a)	अलीराजपुर	पत्थर खदान	Delist	Relist एवं SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित
38.	10809/2023	1 (a)	रायसेन	डायमेन्शनल पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
39.	9483/2022	1 (a)	इंदौर	मुरूम खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
40.	P-2/70/2024	8(a)	रतलाम	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
नीतिगत निर्णय						

1. **प्रकरण क्र. 11002/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लखविन्दर सिंह आत्मज श्री जगमेल सिंह, निवासी मकान न. 1238, सेक्टर 90, एस. ए. एस. नगर, मोहाली, (पंजाब) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 150004 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 946, ग्राम – बदौराकला, तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़े एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतःप्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 11011/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री निखिल कुमार सिंह आत्मज श्री प्रेम शंकर सिंह, निवासी एम.आई.जी. 28, प्रथम तल गोमती कालोनी, नेहरु नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 14850 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.650 हेक्टेयर, खसरा 283, ग्राम – मालीखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 11005/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम ग्रेनाईट, प्रो. श्री देवेन्द्र शिवहरे निवासी ग्राम चूरीयारी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 26,8,64 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1361/1/2 पी, ग्राम – दिदवारा, तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के साथ एक ओर खदान ओवरलेप होना परिलक्षित हो रही है। अतः उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 11016/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री धर्मेन्द्रप्रताप सिहं सेंगर आत्मज श्री शिवराम सिंह सेंगर निवासी इन्द्रा नगर, वार्ड नं. 26, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 7600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 44, ग्राम –नैनावद, तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में की गई अनुशंसा के कार्यवाही विवरण में उल्लेख अनुसार प्रकरण में डिया देवास द्वारा प्यावरणीय स्वीकृति पत्थर–1900 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रदान की गई है लेख है कि आवेदित प्रकरण जिला उज्जैन से संबंधित है एवं आवेदित उत्पादन क्षमता 7600 घनमीटर प्रतिवर्ष है अतः प्रकरण में यदि उत्पादन क्षमता बढ़ायी जा रही है तो यह प्रकरण उत्पादन क्षमता विस्तार के अन्तर्गत निर्णित होगा। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 11015/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ओमप्रकाश चौधरी आत्मज श्री नारायण चौधरी निवासी ग्राम केलोद, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 2063, ग्राम – केलोद, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित कच्ची सड़क से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. **प्रकरण क्र. 10827/2023परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आस्था श्रीवास्तव, निवासी 202, अपोलो पेराडाईर्स, बावड़िया कलां, गुलमोहर, नियर मिनाल इन्क्लेव, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 150002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.65 हेक्टेयर, खसरा 349, ग्राम – बारीगढ़, तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710 वी बैठक दिनांक 05.01.2024 एवं 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 710 वी बैठक दिनांक 05.01.2024 एवं 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़े एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतःप्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 11003/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विपुल शर्मा आत्मज श्री जयनारायण शर्मा निवासी वार्ड नं. 01, ओम कालोनी (मेमोरियल अस्पताल) के पास, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 35, ग्राम – बांसरा, तहसील शढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. 11014/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विनीत कुमार शर्मा निवासी ग्राम भैंसरवाश, तहसील भैंसरवास जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1020/6, ग्राम – बंजरानगढ़, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में की गई अनुशंसा के कार्यवाही विवरण में उल्लेख अनुसार प्रकरण पत्थर खदान रकबा 2.00 हे. उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं खसरा 1020/6 ग्राम बंजरानगढ़ तहसील व जिला गुना हेतु अनुशंसित किया गया है। अपितु कार्यवाही विवरण में दर्शित सम्पूर्ण जानकारी किसी अन्य प्रकरण (पत्थर खदान रकबा 2.00 हे. उत्पादन क्षमता 10830 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं खसरा 36 ग्राम बंसारा तहसील शढौरा जिला अशोकनगर) का है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. 10970/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सैय्यद अफसर अली , आत्मज श्री वाहिद अली निवासी वाहिद विला, वाहिद नगर, ओल्ड़ बायपास, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 14250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.40 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्राम – सांवलियारुंडी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही**

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 11001/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री** नरेश रघुवंशी आत्मज श्री मोहन सिंह रघुवंशी निवासी **एफ.सी.आई के सामने,ईशागढ़ रोड़, वार्ड नं. 01,** जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, **उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 480,481 ग्राम – राजे बामौरा, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की** पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस–पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही का समावेशईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. 11006/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामराजा ग्रेनाईट, पार्टनर श्री देवेन्द्र शिवहरे निवासी म.न. 4–1, इन्द्रा नगर, कबरई, महोबा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम –सेण्ड़ खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.754 हेक्टेयर, खसरा 1599/1/1 ग्राम – दिदवारा, तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।**

III. **प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस–पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही का समावेशईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. प्रकरण क्र. 11007/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री जय कामदागिरि मिनरल्स, पार्टनर श्री देवेन्द्र शिवहरे निवासी म.न. 4–1, इन्द्रा नगर, कबरई, महोबा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 15673 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1361/1/2 ग्राम – दिदवारा, तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।**

III. **प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस–पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही का समावेशईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 10823/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गजेन्द्र सिकरवार, आ.त्मज श्री रामस्वरूप सिंह सिकरवार. लीज निवासी स्टेशन रोड़, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 880/1, 881 ग्राम – कंजा, तहसील शाजापुर जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊर्जा विकास विभाग से खदान क्षेत्र के समीप स्थित विन्ड मिल की सुरक्षा के दृष्टिगत एन.ओ.सी. प्राप्त की जाये। एवं इसका विवरण ई.आई.ए में भी अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 11017/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रामचन्द्र पाटीदार, आत्मज श्री बद्रीलाल पाटीदार निवासी वार्ड़ नं. 12, दलौदा, जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 14820 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 33/2, ग्राम –रोजाना, तहसील जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस–पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही का समावेशईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 11012/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बाबा स्टोन्स एंड अर्थ ओवर प्रा. लिमि. ओनर श्री ओमप्रकाश चन्द्रवंशी निवासी डी – 40, आम्र स्टेट, नयापुरा, कोलार रोड़, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 40014 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.428 हेक्टेयर, खसरा 192/1/2/2, 192/1/2/3, 192/1/2/4, 192/1/2/1, ग्राम –चकल्दी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 11008/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पवन भदौरिया आत्मज श्री एन. के. एस. भदौरियां निवासी म.नं. – 206, ब्लॉक नं. बी, महादेव परिसर, शिवाजी नगर, तहसील हुजूर ,जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.36 हेक्टेयर, खसरा 345, ग्राम – चांदबड़ कदीम, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस–पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही का समावेशईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

17. प्रकरण क्र. 10916/2023परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री रामराजा एग्रीग्रेट प्रा. लिमि. श्री कौशलेस कुमार, डायरेक्टर निवासी ग्राम – चाका, पोस्ट – चाका नैनी, इलाहाबाद डंडी, जिला प्रयागराज (उ. प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 14/1 (पी) ग्राम –उमरी ,तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा पीपी द्वारा प्रस्तवित किया गया कि ब्लास्टिंग नही कि जायेगी एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस हेतु संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया । पुनः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में टॉर की अनुसंशा नहीं की जा सकती।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को *Delist* किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 11010/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अमजद अली, स्टोन केशर प्रो.प. श्री अमजद अली निवासी वार्ड नं. – 09, चांदनी गार्डन, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान,,(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 40002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 54/1/1, ग्राम – रामपुराचकल्दी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 11013/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र जाट आत्मज श्री हजरत सिंह जाट निवासी हनुमान कालोनी, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, ,(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1020/6, ग्राम – बजरंगगढ़, तहसील व, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. Case No 10100/2023: Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.) by Shri Anupam Soni, Proprietor, M/s A and J Hanumante Associates, Ward No. 03, Plot No. 01, Sakti Nagar, NH12, Mandideep, District-Raisen (MP)-462046,

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रकरण पर 733 SEAC बैठक दिनांक 28.03.24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"विदिशा जिले मे औद्योगिक जम्बार बागरी में दो CBWTFs स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर अभिमत चाहा गया उपरोक्त संबंध में कृपया सूचित हो, कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी दिशा–निर्देशों अनुसार प्रदेश में उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रदेश में स्थित CBWTFs की क्षमता का आंकलन कर गैप एनालिसिस रिर्पोट तैयार कर मा. एनजीटी एवं SEIAA में प्रेषित की गई है, ***गैप एनालिसिस रिर्पोट अनुसार प्रदेश में उत्पन्न हो रहे, जैव चिकित्सा अपशिष्ठों की मात्रा से चार गुना अधिक मात्रा हेतु BMW के निष्पादन के CBWTFs संचालित है, अतः गैप एनालिसिस रिर्पोट में उल्लेखित आंकड़ों के दृष्टिगत CBWTFs की आवश्कता नहीं है।"***

अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में टॉर हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को close किया जाता है।

21. **Case No 10101/2023:** Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited, 26, A&B, Block-E, Panki Kanpur Nagar, District-Kanpur Nagar (UP)-208020, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 250 kg per hour with static klin" at Plot No.-3, C-Sector, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.) [425600]

प्रकरण पर 733 SEAC बैठक दिनांक 28.03.24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"विदिशा जिले मे औद्योगिक जम्बार बागरी में दो CBWTFs स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर अभिमत चाहा गया उपरोक्त संबंध में कृपया सूचित हो, कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी दिशा–निर्देशों अनुसार प्रदेश में उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रदेश में स्थित CBWTFs की क्षमता का आंकलन कर गैप एनालिसिस रिर्पोट तैयार कर मा. एनजीटी एवं SEIAA में प्रेषित की गई है, ***गैप एनालिसिस रिर्पोट अनुसार प्रदेश में उत्पन्न हो रहे, जैव चिकित्सा अपशिष्ठों की मात्रा से चार गुना अधिक मात्रा हेतु BMW के निष्पादन के CBWTFs संचालित है, अतः गैप एनालिसिस रिर्पोट में उल्लेखित आंकड़ों के दृष्टिगत CBWTFs की आवश्कता नहीं है।"***

अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में टॉर हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को close किया जाता है।

22. **प्रकरण क्र 10380/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दृष्टि माईनिंग, श्री अनिल गुप्ता, निवासी ई–7/626, अरेरा कालोनी, आर.एस. नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र) द्वारा क्वार्टज व फेल्सपार खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 95000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.475 हे., खसरा 210, 211, 212, 213, 214, 222, ग्राम – सबदलपुर, तहसील – दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 809 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में अधिरोपित शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसारः–

"....समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 731वीं बैठक दिनांक 19/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, त्रुटिवश उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की समिति की 731वीं बैठक दिनांक 19/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण में अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है के स्थान पर अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है पढ़ा जावें, शेष अन्य अनुशंसा/शर्ते यथावत रहेंगी...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की अनुशंसा को मान्य किया गया।

23. **प्रकरण क्र. 9684/2023परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुशवाह, निवासी– 541, आदर्श कॉलोनी, राम मनोहर लोहिया वार्ड, मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,762.56टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818, रकबा 24.850 हेक्टेयर, ग्राम जमुवानीकला, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश एवं SEAC के कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उक्त लीज क्षेत्र के अंदर से एवं लीज से लगा हुआ कच्चा रोड़ भी परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष दस्तावेज सहित स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS एवं ई–मेल दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव कुशवाहा एवं पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री शिल्पा संजय सिंह, मेसर्स **P and M Solutions, Noida (U.P.)** के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा **ADS** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ड्रैनेज पैटर्न, एयर माडलिंग का विवरण, क्लास्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कान्टीनिवस मानिटिरिंग इक्यूपमेन्ट आदि की स्पष्ट जानकारी नही प्रदान कि गई है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण पर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिय गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 7 दिवस में प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

24. **प्रकरण क्र. 7341/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी. ग्रेनाईट लिमि, निवासी 614, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टांक रोड़, जिला जयपुर, (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान,(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 28/1, ग्राम सिलपतपुरा, तहसील चन्देला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 842 वी बैठक 04.04.2024 दिनांक प्रकरण पर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

"....SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारास्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 06 पेड लगे है जो काटे जायेगे तथा उनके एवज में 60 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।

*अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांतपरियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवंSEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर का पत्र क्र. 2304 दिनांक 28.09.2017 के माध्यम से 30 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 27.09.2047 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

III. क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक EnvironmentCell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।**

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तहत खदान क्षेत्र में रोपित पौधों के संरक्षण हेतु ट्रीगार्ड लागाये जाये एवं मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

VIII. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. **Case No 10574/2023:** Prior Environment Clearance for "Samdariya Gold Bhopal" Construction of Residential and Commercial Complex Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) by M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Owner, House No. 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Samdariya Abhushan Bhandar, Sarafa, Sarafa ward, Jabalpur (MP) Email: samdariyabhopal@gmail.com Mobile number: 8979659406 B-2

प्रकरण पर 834 SEIAA बैठक दिनांक 28.02.24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC.) की 716 वीं बैठक दिनांक 23.01.2024 में उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है, जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 66 से 79 पर अंकित है।

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण में चर्चा उपरांत पाया गया कि परियोजना में एमपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्वीकृति हेतु आवेदन उपरांत एमपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से निम्नानुसार उल्लेखित है :–

- *"संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम धिनियम 1973 की धारा(1)(४)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत इंडियन रेलवे एक्ट क्रमांक–9 सन् 1890 केअध्याय–3 केअधीन संकर्मो के संनिर्माण तथा अनुरक्षण के प्रयोजन के लिये रेलवे प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों पर इस अधिनियम के कोई बात लागू नहीं होगी*
- *SEAC की बैठक में बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग की हाइट, road width, open area, parking area आदि का उल्लेख नहीं है।*
- *परियोजना प्रस्तावक को नगर निगम भोपाल द्वारा वाटर सप्लाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं एक्स्ट्रा ट्रीटेड वेस्ट वाटर के निष्पादन हेतु अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया है परन्तु नगर निगम द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्राप्त नहीं है।*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- *अतः इस परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि परियोजना के ले आउट की स्वीकृति किसके द्वारा की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक और रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच सम्पादित डीड में भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।*
- *स्थान पर काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण नहीं किया गया है।*

उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंवे।

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 05.04.24 को जानकारी प्राप्त हुई है, एवं प्राधिकरण से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमति चाही है।

उपरोक्तानुसार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. और मेसर्स समदरिया बिल्डर्स (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से परियोजना प्रस्तावक श्री सी.जे.पी. व्यवहार आज प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पेड़ कटे जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया की परियोजना स्थल पर नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर ही पेड़ काटे गए है और इसके एवज में 1500 पेड़ लगाए जाने है। पेड़ लगाने का काम शुरू हो चूका है जो मानसून के पूर्व पूरा कर लिया जायेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।

- *Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.*
- *Construction of temporary sheds .*
- *provision of of temporary electricity and water supply for project site./ gaurds only.*

The above activities shall be undertaken subject to the following:

I. *The land should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained.*

II. *In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.*

III. ***In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.***

IV. *The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 846वी बैठक दिनांक 25.04.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया परियोजना प्रस्तावक मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स प्रा.लि. भोपाल **श्री सी.जे.पी. व्यवहार** एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज (मेसर्स जेनिथ इन्वायरमेंट कन्सलटेंसी नोयडा, यू.पी.) द्वारा प्राधिकरण को बताया गया है कि उनके द्वारा लगभग 150 वृक्ष पर्यावरण वानिकी मण्डल, भोपाल की अनुमति प्राप्त कर काटे गये हैं। इसके एवज में 1500 पेड़ लगाये जाने हैं। उनका कहना है कि यह कार्यवाही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के OM दिनांक 29.3.2022 अनुसार की गई है।

इस संबंध में उल्लेखनीय होगा कि भारत सरकार के OM दिनांक 29.3.2022 अनुसार केवल निम्न कार्यों को पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के पूर्व किया जा सकता है:–

(i) परियोजना स्थल की सुरक्षा हेतु फेंसिंग जो कि कंटीले तार, प्रीकास्ट सीमेंट कांक्रीट की सीमा दीवार

(ii) अस्थाई शेड का निर्माण

(iii) परियोजना स्थल पर विद्युत एवं जल उपलब्धता हेतु अस्थाई कनेक्शन (गार्ड उपयोग हेतु)

उक्त तीनों गतिविधियों हेतु भारत सरकार के OM दिनांक 29.3.2022 अनुसार भूमि परियोजना प्रस्तावक के पास तथा आवश्यक वैधानिक संस्थाओं से अनुमतियां होना चाहिए। इन तीन गतिविधियों हेतु अगर कोई वृक्ष आदि का हटाना या काटा जाना आवश्यक है तो इस संबंध में वन विभाग या राज्य शासन की अन्य सक्षम संस्था की अनुमति ली जाना होगी।

परियोजना प्रस्तावक का यह कहना कि उसने नगर निगम की अनुमति से पेड़ काटे हैं एवं उसकी अनुमति भारत सरकर के OM दिनांक 29.3.2022 के अनुसार है, यह सही व्याख्या नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने से परियोजना स्थल पर जलवायु की दृष्टि से निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव हुआ होगा।

राज्य पर्यावरण निर्धारण समाघात प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा भी नीतिगत रूप से यह निर्णय लिया जा चुका है कि, यदि किसी परियोजना में पेड़ आदि काटे जाने हैं तो सर्वप्रथम उसके बदले में 10 गुना वृक्ष लगाये जावें। क्योंकि वृक्षों की ग्रोथ होने में बहुत समय लगता है और अनेक वृक्ष तो इस दौरान पर्याप्त संरक्षण के अभाव में मृत भी हो जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा खदानों के क्षेत्र में जहां आबादी बहुत कम होती हैं वहां पर यह लागू किया जा रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में तो इसकी अधिक महत्ता एवं आवश्यकता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभप्रद एवं दृष्टव्य गतिविधि प्लांटेशन (ग्रीन बेल्ट) ही होता है। शहरी क्षेत्रों में इसका अत्यधिक महत्व कोविड काल के दौरान सिद्ध हो चुका है और यही वजह है कि राज्य शासन द्वारा शहरों में उपलब्ध सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि पर नगरीय वन (अर्बन फॉरेस्ट) विकसित किए जा रहे हैं।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इस प्रकरण में जो स्थल चयनित किया गया है वह गूगल मेप में स्पष्ट है कि वह घनी आबादी का क्षेत्र है, यह भूमि भी रेल्वे (शासकीय भूमि) की है। वहां अधिकारियों/कर्मचारियों का कॉलोनी निर्माण एवं विस्तारित की जाना प्रस्तावित है एवं वाणिज्यिक परिसर भी प्रस्तावित है। पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ऐसे स्थल पर पेड़ काटे जाने के पूर्व यह विचार किया जाना चाहिए था कि इन वृक्षों को आसपास उपलब्ध सार्वजनिक रिक्त भूमि पर रिलोकेट कर दिए जाते, जिससे कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान होता और आसपास रहने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त ऑक्सीजन एवं वृक्षों की छाया से समुचित लाभ मिलता रहता। कार्यालय पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.04.23 में वृक्षों के क्षतिपूर्ति हेतु अनापत्ति जारी किया गए है न की काटने की अनुमति दी गई है।

"प्रोजेक्ट समदड़िया गोल्ड कॉम्पलेक्स, रतलाम शहर में भी प्रस्तावित है जहां हाउसिंग बोर्ड की लगभग 2.50 हेक्टेयर भूमि पर कमर्शियल काम्पलेक्स प्रस्तावित है। इस प्रकरण में स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी (SEAC) द्वारा प्रेषित अनुशंसा में उसे वायलेशन प्रकरण दर्शाया गया है। क्योंकि यहॉ पर भी लगभग 211 वृक्ष अनुमति प्राप्त होने के पूर्व ही काट दिए गए। हालांकि इसमें SEAC ने लिखा है कि यह वृक्ष प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व ही समदड़िया बिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा नगर निगम की अनुमति से काटे गये हैं। उल्लेखनीय होगा कि नगर निगम से प्रोजेक्ट आवंटन से पूर्व समदड़िया बिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा किस हैसियत से नगर निगम रतलाम से वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त की गई ? तथा नगर निगम द्वारा किन आधार एवं शर्तों पर पेड़ काटने की अनुमति दी गई ? यह स्थल भी रतलाम शहर की घनी आबादी के बीच स्थित है।"

समदड़िया बिल्डर्स, द्वारा की गई कार्यवाही उल्लंघन (Violation) की प्रतीत होती है। हालाकि भोपाल परियोजना स्थल के संबंध में SEAC के समक्ष पेड़ काटे जाने की जानकारी को संभवतः अवगत नहीं कराया गया। इस वजह से SEAC ने प्रकरण में इसका उल्लेख नहीं किया है। अतः इस प्रकरण पर भी उसी प्रकार विचार किया जाना चाहिए जैसे रतलाम शहर के प्रकरण (Case No P-2/70/2024)पर किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रकरण को SEAC प्रेषित किया जाये। साथ ही उल्लंघन (Violation) के प्रकरणों पर कार्यवाही करने हेतु मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों के नियमितीकरण पर रोक लगाई गई है। अतः उचित होगा कि दोनों प्रकरणों में विस्तृत विवरण भारत सरकार को भेज कर उनके OM दिनांक 29.3.2022 के संदर्भ में कार्यवाही करने एवं निर्देश जारी करने हेतु भेजा जावे। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

26. **Proposal No. SIA/MP/MIN/459080/2024 प्रकरण क्रमांक 4232/2015 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश कुमार टोपनानी, निवासी– एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 72 शांति नगर, पोस्ट कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)रकबा 3.96 हे. उत्पादन क्षमता 14,787 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 409, ग्राम सलैया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महागुड अर्थ मिनरल्स एलएलपी, पार्टनर श्री नारायण राव अलापति, निवासी– द्वितीय तल, बजाज हॉस्पिटल कॉम्पाउण्ड, नियर शहीदद्धार सॉवरकर वार्ड, नई वस्ती, जिला कटनी(म.प्र.)के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 838वी बैठक दिनांक 12 .03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक**श्री प्रकाश कुमार टोपनानी, निवासी– एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 72 शांति नगर, पोस्ट कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स महागुड अर्थ मिनरल्स एलएलपी, पार्टनर श्री नारायण राव अलापति, निवासी– द्वितीय तल, बजाज हॉस्पिटल कॉम्पाउण्ड, नियर शहीदद्वार सॉवरकर वार्ड, नई वस्ती, जिला कटनी(म.प्र.)**के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स महागुड अर्थ मिनरल्स एलएलपी, पार्टनर श्री नारायण राव अलापति, निवासी– द्वितीय तल, बजाज हॉस्पिटल कॉम्पाउण्ड, नियर शहीदद्वार सॉवरकर वार्ड, नई वस्ती, जिला कटनी(म.प्र.)**के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 2113/SEIAA/2016दिनांक 21.06.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्रदिनांक 26.12.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 4078/1539616/2023/12/1 दिनांक 22.08.2023 (वैधता 13.02.2024 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मेसर्स महागुड अर्थ मिनरल्स एलएलपी की पार्टनरशिप डीड एवं लीज वैधता का आदेश ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS**एवं**ई–मेल दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। जानकारी निम्नानुसार है

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश कुमार टोपनानी, निवासी– एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 72 शांति नगर, पोस्ट कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, रकबा 3.96 हे. उत्पादन क्षमता 14,787 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 409, ग्राम सलैया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी(म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महागुड अर्थ मिनरल्स एलएलपी, पार्टनर श्री नारायण राव अलापति, निवासी– द्वितीय तल, बजाज हॉस्पिटल कॉम्पाउण्ड, नियर शहीदद्वार सॉवरकर वार्ड, नई वस्ती, जिला कटनी (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21.06.2016 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी द्वारा उत्खनिपटटा में समयावृद्धि पूरक अनुबंध अनुसार (30 वर्ष) दिनांक 14.02.2024 से दिनांक 13.02.2054 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

27. **Proposal No. SIA/MP/MIN/463335/2024 प्रकरण क्रमांक 601/2010 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेणु राठौर, निवासी– 101, संजीवनी नगर, गढ़ा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान,(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) रकबा 10.31 हे. उत्पादन क्षमता 5000टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 302, 303, 304, 305, 306, 336, ग्राम बगरई, तहसील पाठन, जिला जबलपुर (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.एस. मिनरल्स एण्ड मार्बल्स, पार्टनर श्रीमती मृदुला काल्पीवार, निवासी– 42–बी, आजाद वार्ड, जिला मण्डला (म.प्र.)के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 838वी बैठक दिनांक 12.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक**श्रीमती रेणु राठौर, निवासी– 101, संजीवनी नगर, गढ़ा, जिला जबलपुर (म. प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स एम.के.एस. मिनरल्स एण्ड मार्बल्स, पार्टनर श्रीमती मृदुला काल्पीपर, निवासी– 42–बी, आजाद वार्ड, जिला मण्डला(म.प्र.)**के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स एम.के.एस. मिनरल्स एण्ड मार्बल्स, पार्टनर श्रीमती मृदुला काल्पीपर, निवासी– 42–बी, आजाद वार्ड, जिला मण्डला(म.प्र.)**के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1970/SEIAA/2013दिनांक 14.11.2013 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्रदिनांक 08.10.2023 के माध्यम से हस्तांतरित अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. एफ–3–38/2008/12/1 दिनांक 07.06.2023 (वैधता 29.05.2043 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2/12006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.एस. मिनरल्स एण्ड मार्बल्स की पार्टनरशिप डीड ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS एवं ई–मेल दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेणु राठौर, निवासी– 101, संजीवनी नगर, गढ़ा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, रकबा 10.31 हे. उत्पादन क्षमता 5000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 302, 303, 304, 305, 306, 336, ग्राम बगरई, तहसील पाठन, जिला जबलपुर (म.प्र.)की जारी पूर्व पर्यावरणीय

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.एस. मिनरल्स एण्ड मार्बल्स, पार्टनर **श्रीमती मृदुला कालपीपर, निवासी– 42–बी, आजाद वार्ड, जिला** मण्डला(म.प्र.)**के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाताहै :–**

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक **14.11.2013 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता** मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. एफ–3–38/2008/12/2 दिनांक 07.06.2023अनुसार वैधता 29.05.2043 **तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

28. Proposal No. SIA/MP/MIN/463640/2024 प्रकरण क्रमांक 22/2008– पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय मिनरल्स, ग्राम सिंदूरसी, तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एण्ड हेमेटाईट खदान,(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 9.00 हे. उत्पादन क्षमता 0.29 मिलियनटन प्रतिवर्ष, खसरा 494, ग्राम सिंदूरसी, तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा ओर्स एण्ड माईन्स प्रा.लि., संचालक श्री नितिन शर्मा, शॉप नं. 3, बंगाली क्लब मार्केट, करमचंद चौक, मढ़ाताल जिला जबलपुर (म.प्र.)के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 838वी बैठक दिनांक 12.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक**मेसर्स जय मिनरल्स, ग्राम सिंदूरसी, तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.)** द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स शर्मा ओर्स एण्ड माईन्स प्रा.लि., संचालक श्री नितिन शर्मा, शॉप नं. 3, बंगाली क्लब मार्केट, करमचंद चौक, मढ़ाताल जिला जबलपुर(म.प्र.)**के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स शर्मा ओर्स एण्ड माईन्स प्रा.लि., संचालक श्री नितिन शर्मा, शॉप नं. 3, बंगाली क्लब मार्केट, करमचंद चौक, मढ़ाताल जिला जबलपुर(म.प्र.)**के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 5193/SEIAA/2020दिनांक 12.03.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्रदिनांक 13.12.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2/12006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को प्राधिकरण में पंजीबद्ध करते हुए निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जायें :–

1. **प्राधिकरण के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 16.08.2023 अनुसार प्रक्रिया शुल्क राशि की प्रति।**
2. **नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति।**
3. **नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र की प्रति।**
4. **मेसर्स शर्मा ओर्स एण्ड माईन्स प्रा.लि. की पार्टनरशिप डीड की प्रति।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु क्र. 1 एवं 4 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने का उपरांत प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS एवं ई–मेल दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय मिनरल्स, ग्राम सिंदूरसी, तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एण्ड हेमेटाईट खदान, रकबा 9.00 हे. उत्पादन क्षमता 0.29 मिलियनटन प्रतिवर्ष, खसरा 494, ग्राम सिंदूरसी, तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा ओर्स एण्ड माईन्स प्रा.लि., संचालक श्री नितिन शर्मा, शॉप नं. 3, बंगाली क्लब मार्केट,

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

कर्मचंद चौक, मढ़ाताल जिला जबलपुर(म.प्र.)के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाताहै :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.03.2020 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 4929/1516919/2023/12/1 दिनांक 03.10.2023 अनुसार 06.09.2004 से 05.09.2054 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

29. Proposal No. SIA/MP/MIN/463161/2024 प्रकरण क्रमांक 1857/2014 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उजाला मर्चेन्ट एण्ड ट्रेडर्स लि., कोहली फार्महाउस कैम्पस, नियर रपटा पेट्रोल पम्प, खिरनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 8.094 हे. उत्पादन क्षमता 2,50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 49पी, 51, 52पी, 53पी, 73पी, 81पी, 82पी, 83, 84पी, 85, ग्राम गुढ़ा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी– माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.)के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 838 वी बैठक दिनांक 12.03.2024 में प्रकरण में दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावकमेसर्स उजाला मर्चेन्ट एण्ड ट्रेडर्स लि., कोहली फार्महाउस कैम्पस, नियर रपटा पेट्रोल पम्प, खिरनी, जिला कटनी (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी– माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी(म.प्र.)के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी– माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी(म.प्र.)**के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 9512/SEIAA/2015दिनांक 18.12.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्रदिनांक 02.01.2024 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 4439/1502544/2023/12/1 दिनांक 15.09.2023 (वैधता 13.05.2034 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपीकी पार्टनरशिप डीड ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS एवं ई–मेल दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 838 वी बैठक दिनांक 12.03.2024 में प्रकरण का प्रस्ताव क्र. 463161/2024 (प्रकरण क्रमांक 1857/2014) के स्थान पर त्रुटिवश 463335/2024 (प्रकरण क्रमांक 1875/2014) अंकित हो गया हैं । अतः प्रकरण का प्रस्ताव क्र. 463335/2024 प्रकरण क्रमांक 1875/2014 के स्थान पर 463161/2024 (प्रकरण क्रमांक 1857/2014) का पठन किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन प्रस्तुत पार्टनरशिप डीड मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी की नही हैं। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी के नाम की पार्टनरशिप डीड परिवेश पोर्टल पर आनलाईन प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

30. **प्रकरण क्र. 9623/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भैरूलाल व्यास, निवासी–16, सखवाल नगर, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 3/2, ग्राम सॉवलियारूंडी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार *"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2033 तक वैध मान्य रहेगी।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार *" कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2033 तक वैध मान्य रहेगी।'* **के स्थान पर** *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी* **का संशोधन किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 842 वी बैठक दिनांक 04.04.2024 मे उपरोक्त सशोधन मान्य कर लिया गया है।

31. **प्रकरण क्र. 10040/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेम शर्मा आत्मज श्री मुंशीराम शर्मा, निवासी 42, मधुबन कॉलोनी, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.38 हेक्टेयर, खसरा 888/4/4, ग्राम हरसोल, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 664वी बैठक दिनांक 28.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्वीकृत है एवं उक्त पहाड़ी पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) परिलक्षित हैं। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, इन्दौर से 15 दिवस स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त वर्जन पहाड़ी जिस पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) किये गये है पर खनन संक्रियाओं हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना क्या उचित है ? तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इंदौर का पत्र क्र. 592 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबध में लेख किया है कि " *उक्त पहाड़ी क्षेत्र पर वर्ष 2019 – 20 में मनरेगा योजना से संकण पोड एवं कंटूर ट्रेंच का निर्माण तथा सामुदायिक वृक्षारोपण से संबंधित कार्य कराये गये है, एवं मौके पर उपस्थित ग्रामीणो द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र की पहाड़ी को ग्राम की धरोहर होना बताते हुए उक्त पहाड़ी में उत्खनि पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध मे आपत्ति व्यक्त करते हुए लीज निरस्त किये जाने हेतू निवेदन किया गया।पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय हेतू राजस्व एवं खनिज दोनो ही विभाग दक्ष (विशेषज्ञ) विभाग नहीं है एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतू शासन द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) कार्यालय को ही अधिकृत किया गया है ....."*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्वसंमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को *Relist* किया जाये एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इंदौर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी के दृष्टिगत **प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

32. **Proposal No. SIA/MP/MIN/460513/2024 प्रकरण क्रमांक 2470/2015– पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स लि., कार्यपालन संचालक श्री हिमांशु कोठारी, एन.एच. 7, रीवा रोड़, पोस्ट मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, रकबा 3.436 हे. उत्पादन क्षमता 64857 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 345/1 (नवीन 652), ग्राम भदावर, तहसील मुरवाड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अंजनी पाण्डे, अहूरा सेन्टर, प्रथम तल, ए–बिंग, महाकाली गुफा रोड़, अंधेरी (ई), मुम्बई (महाराष्ट्रा) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 838 वी बैठक दिनांक 12.03.2024 में प्रकरण में दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक**मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स लि., कार्यपालन संचालक श्री हिमांशु कोठारी, एन. एच. 7, रीवा रोड़, पोस्ट मैहर, जिला सतना**(म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव सिंह बघेल आत्मज **मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अंजनी पाण्डे, अहूरा सेन्टर, प्रथम तल, ए–बिंग, महाकाली गुफा रोड़, अंधेरी(ई), मुम्बई (महाराष्ट्रा)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अंजनी पाण्डे, अहूरा सेन्टर, प्रथम तल, ए–बिंग, महाकाली गुफा रोड़, अंधेरी (ई), मुम्बई (महाराष्ट्रा)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 5804/SEIAA/2015दिनांक 26.09.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

V. मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 2228/1255993/2023/12/1 दिनांक 31.05.2023 (वैधता 06.06.2045 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2/12006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत फार्म–7 में पूर्व परियोजना प्रस्तावक के स्थान पर नवीन परियोजना प्रस्तावक का नाम अंकित किया गया है जिसे सुधार कर अपलोड कराया जाये।**

2. **नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र की प्रति।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु क्र. 1 एवं 2 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने का उपरांत प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु क्र. 1 एवं 2 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने का उपरांत प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन ADS ई–मेल दिनांक 20.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स लि., कार्यपालन संचालक श्री हिमांशु कोठारी, एन.एच. 7, रीवा रोड़, पोस्ट मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, रकबा 3.436 हे. उत्पादन क्षमता 64,857 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 345/1 (नवीन 652), ग्राम भदावर, तहसील मुरवाड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अंजनी पाण्डे, अहूरा सेन्टर, प्रथम तल, ए–बिंग, महाकाली गुफा रोड़, अंधेरी (ई), मुम्बई (महाराष्ट्रा) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26.09.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 2228/1255993/2023/12/1 दिनांक 31.05.2023 अनुसार वैधता 06.06.2045 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

33. प्रस्ताव क्र .SIA/MP/MIN/464806/2024 प्रकरण क्र 6564/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेमनरायण साहू आत्मज श्री लक्ष्मी नरायण साहू निवासी 194, तालपुरा जिला झासी (उ.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 33,565 घनमीटर प्रतिवर्ष. , रकबा 1.40 हे., खसरा 15/3/2 ग्राम – घटवाहा तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उज्जैनी ग्रेनाईट पार्टनर श्री विक्रम सिंह निवासी 227 सी.पी मिशन कम्पाउन्ड झासी जिला झासी (उ.प्र.) के नाम किये जाने हेतु आवेदन आवेदन।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेमनरायण साहू आत्मज श्री लक्ष्मी नरायण साहू निवासी 194, तालपुरा जिला झासी (उ.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उज्जैनी ग्रेनाईट पार्टनर श्री विक्रम सिंह निवासी 227 सी.पी मिशन कम्पाउन्ड झासी जिला झासी (उ.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उज्जैनी ग्रेनाईट पार्टनर श्री विक्रम सिंह निवासी 227 सी.पी मिशन कम्पाउन्ड झासी जिला झासी (उ.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 3857/SEIAA/2020दिनांक 08.01.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र.2569–71 दिनांक 01.07.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) निवाड़ी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 24 दिनांक 05.01.2019 (वैधता 13.02.2021 तक) की प्रति।

VII. द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 15334–55 दिनांक 14.11. 2022 (वैधता 13.02.2021 तक) की प्रति।

VIII. संचालनालय भोमिकी तथा खनिकर्म म.प्र का द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज नवकरण आदेश क्र. 15334–55 दिनांक 14.02.2021 से 10 वर्ष (वैधता 13.02.2031 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेमनरायण साहू आत्मज श्री लक्ष्मी नरायण साहू निवासी 194, तालपुरा जिला झासी (उ. प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 33,565 घनमीटर प्रतिवर्ष. , रकबा 1.40 हे., खसरा 15/3/2 ग्राम – घटवाहा तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उज्जैनी ग्रेनाईट पार्टनर श्री विक्रम सिंह निवासी 227 सी.पी मिशन कम्पाउन्ड झासी जिला झासी (उ.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.03.2020 में निहित विशिष्ट एवं साधारण **समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता संचालनालय भोमिकी तथा खनिकर्म म.प्र का द्वारा नवीन** परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज नवकरण आदेश क्र. 15334–55 **दिनांक 14.11.2022 अनुसार** दिनांक **13.02.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

34. **प्रकरण क्र. P2/10/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश शर्मा आत्मज श्री रामनारायण शर्मा, निवासी– ग्राम डोंगरगॉव, तहसील सुसनेर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 1326/4/2, ग्राम सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्राधिकरण की 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति की **विशिष्ट शर्त क्र. III** " **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।** " को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण पर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांतं यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 840 वी बैठक दिनांक 27.03. 2024 में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाये । तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

35. **प्रकरण क्र. 10589/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नाजमा इंसाफ पत्नी श्री, मोहम्मद इंसाफ निवासी– बी.पी –73 लेक पर्ल गार्डेन एयरपोर्ट रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 34,779 टन प्रतिवर्ष, खसरा 842 रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम रतनपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 833वी बैठक दिनां क22.02.2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में कलेक्टर जिला भोपाल से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जयेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 18.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र का अदेश क. 13043–44 दिनांक 13.09..2022 अनुसार दिनांक 28.05.2020 से 10 वर्ष नवकरण की मंजूरी प्रदान की गई है।अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.05.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

36. प्रकरण क्र. 9938/2023परियोजना प्रस्तावक श्रीमती तारा अजनार पत्नि श्री सुरपाल अजनार, निवासी जोबट, तहसील जोबट जिला अलीराजपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2425 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.600 हे0, खसरा क्रमांक 244/1, 244/2, ग्राम प्रतापफलिया, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 652वीं बैठक दिनांक 14.06.2023 एवं 666वी बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है परन्तु दूरी के सबंध में स्थानवार मापदंड छोडने के फलस्वरूप खनन् योग्य क्षेत्र कम उपलब्ध होता है अतःउनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्तावित है । चूकिं खदान एरिया मे ं क्रेशर स्थापना प्रस्तावित है इसकी लोकेशन कहा ं होगी तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी में पक्का रोड होने के कारण सेटबेक छोडा जाना प्रस्तावित है अतः इस संबंध मे समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि संबंधित खनिज अधिकारी से इस तथ्य की तकनीकी रूप से पुष्टी करा ले कि नॉन ब्लास्टिंग के संबंध में स्थानवार मापदंड छोडने के फलस्वरूप इस खदान मे खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 652वीं बैठक दिनांक 14.06.2023 एवं 666वी बैठक दिनांक 04.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 19.04.2024 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए प्रकरण को *Relist* कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

37. प्रकरण क्र. 9939/2023 परियोजना प्रस्तावक कुमारी हजरी अजनार आत्मज श्री सुमेर सिहं अजनार, निवासी जोबट, तहसील जोबट जिला अलीराजपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4850 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.440 हे0, खसरा क्रमांक 909, ग्राम मोरासा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 652वीं बैठक दिनांक 14.06.2023 एवं 666वी बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

"...प्रस्तुतीकरण के दोरान समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अत डिया की अन्य शर्तो के साथ फेंसिग के फोटोग्राफ, मिट्टी के कटाव को बचाने के लिये ट्रेच बनाने का प्रस्ताव, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें ।..."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 652वीं बैठक दिनांक 14.06.2023 एवं 666वी बैठक दिनांक 04.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को *Delist* किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 19.04.2024 के माध्यम से प्रकरण को ***Relist*** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए प्रकरण को *Relist* कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 10809/2023परियोजना प्रस्तावक मेसर्स इक्सक्लूसिव रिसोर्सेस प्रा. लि. प्रो. श्री भूपेन्द्र राव निवासी 121 भटिआनी चौहटटा उदयपुर गिरवा जिला उदयपुर (राजस्थान) द्वारा डायमेन्शनल पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7140 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.237 हे0, खसरा क्रमांक 208/1/2, ग्राम अजायबनगर (शुंड), तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 708 वी बैठक दिनांक 03.012024में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

39. **प्रकरण क्र. 9483/2022** परियोजना प्रस्तावक श्रीमती काली बाई पत्नि श्री नानालाल वासुनिया, निवासी 62, सरनाथ कॉलोनी, बिजलपुर, जिला इंदौर (म.प्र), द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.322 हेक्टेयर, खसरा 237, ग्राम मालाखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में प्राधिकरण की 844 वी बैठक दिनांक 23.04.2024 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण के कार्यवाही विवरण मे अधिरोपित विशिष्ठ शर्त क –1 " पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.03.2022 से 10 वर्ष के स्थान पर पर त्रुटिवश वैधता दिनांक 22.03.2022 अंकित हो गया है। अतः प्रकरण के कार्यवाही विवरण में पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 22.03.2022 तक के स्थान पर वैधता दिनांक 22.03.2032 तक पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबधितो को सूचनार्थ ।

40. **Case No P-2/70/2024:**Prior Environment Clearance for Proposed "SAMDARIYA GOLD COMPLEX" Construction of Commercial Complex (M.P.) at Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), Village/Tehsil/District- Ratlam (M.P.). Total Land Area – 24,900.0 m2 (2.49 ha.). Total Built-up Area - 125576.802 sq.m.by Shri Akash Shukla, Authorized Person, M/s SAMDARIYA BUILDERS (RATLAM) PRIVATE LIMITED M.I.G., Vikram Nagar, Ratlam, (M.P.) – 457001. (INFRA2/456558/2023) Cat. 8 (a) Project. B2

प्रकरण पर SEIAA की 845 वीं बैठक दिनांक 24/04/24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

प्रकरण पर SEAC 731** वीं बैठक दिनांक 19/03/24 **में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लेते हुए SEIAA को अग्रेषित किया गया था :–

समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है जो कि एक प्रकार का बायलेशन है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- *Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.*
- *Construction of temporary sheds .*
- *provision of of temporary electricity and water supply for project site./ gaurds only.*

The above activities shall be undertaken subject to the following:

V. The lend should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained .

VI. In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.

VII. In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.

VIII. The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्दश दिये कि निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन कर प्रस्तुत करें।

1. ***Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.***
2. ***Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.***
3. ***The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.***

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के प्रकाश में समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है अतः सिया द्वारा इस सबंध में निर्णय लिया जावे कि इसे वायलेशन माना जावे अथवा नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उपरोक्तानुसार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. आज प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पेड़ कटे जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया की परियोजना स्थल पर नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर ही पेड़ कटे गए है और अनुमति के अनुसार पेड़ लगाए जाने है। पेड़ लगाने का काम शुरू हो चूका है जो मानसून के पूर्व पूरा कर लिया जायेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।

- *Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.*
- *Construction of temporary sheds .*
- *provision of of temporary electricity and water supply for project site./ gaurds only.*

The above activities shall be undertaken subject to the following:

IX. The land should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained.

X. In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.

XI. In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.

XII. The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया परियोजना प्रस्तावक मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स प्रा.लि. रतलाम एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज (मेसर्स जेनिथ इन्वायरमेंटकन्सलटेंसी नोयडा, यू.पी.) द्वारा प्राधिकरण को बताया गया है कि उनके द्वारा लगभग 211 वृक्ष पर्यावरण वानिकी मण्डल, भोपाल की अनुमति प्राप्त कर काटे गये हैं। इसके एवज में 2111 पेड़ लगाये जाने हैं। उनका कहना है कि यह कार्यवाही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के OM दिनांक 29.3.2022 अनुसार की गई है।

इस संबंध में उल्लेखनीय होगा कि भारत सरकार के OM दिनांक 29.3.2022 अनुसार केवल निम्न कार्यों को पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के पूर्व किया जा सकता है:—

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) परियोजना स्थल की सुरक्षा हेतु फेंसिंग जो कि कंटीले तार, प्रीकास्ट सीमेंट कांक्रीट की सीमा दीवार

(ii) अस्थाई शेड का निर्माण

(iii) परियोजना स्थल पर विद्युत एवं जल उपलब्धता हेतु अस्थाई कनेक्शन (गार्ड उपयोग हेतु)

उक्त तीनों गतिविधियों हेतु भारत सरकार के OM दिनांक 29.3.2022 अनुसार भूमि परियोजना प्रस्तावक के पास तथा आवश्यक वैधानिक संस्थाओं से अनुमतियां होना चाहिए। इन तीन गतिविधियों हेतु अगर कोई वृक्ष आदि का हटाना या काटा जाना आवश्यक है तो इस संबंध में वन विभाग या राज्य शासन की अन्य सक्षम संस्था की अनुमति ली जाना होगी।

परियोजना प्रस्तावक का यह कहना कि उसने नगर निगम की अनुमति से पेड़ काटे हैं एवं उसकी अनुमति भारत सरकर के OM दिनांक 29.3.2022 के अनुसार है। यह व्याख्या सही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने से परियोजना स्थल पर जलवायु की दृष्टि से निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव हुआ होगा।

राज्य पर्यावरण निर्धारण समाघात प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा भी नीतिगत रूप से यह निर्णय लिया जा चुका है कि, यदि पेड़ आदि काटे जाने हैं तो सर्वप्रथम उसके बदले में 10 गुना वृक्ष लगाये जावें। क्योंकि वृक्षों की ग्रोथ होने में बहुत समय लगता है और अनेक वृक्ष तो इस दौरान पर्याप्त संरक्षण के अभाव में मृत भी हो जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा खदानों के क्षेत्र में जहां आबादी बहुत कम होती हैं वहां पर यह लागू किया जा रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में तो इसकी अधिक महत्ता एवं आवश्यकता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभप्रद एवं दृष्टव्य गतिविधि प्लांटेशन (ग्रीन बेल्ट) ही होता है। शहरी क्षेत्रों में इसका अत्यधिक महत्व कोविड काल के दौरान सिद्ध हो चुका है और यही वजह है कि राज्य शासन द्वारा शहरों में उपलब्ध सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि पर नगरीय वन (अर्बन फॉरेस्ट) विकसित किए जा रहे हैं।

इस प्रकरण में जो स्थल चयनित किया गया है वह गूगल मेप में स्पष्ट है कि वह घनी आबादी का क्षेत्र है, यह भूमि गृह निर्माण मण्डल (शासकीय भूमि) की है। वहां वाणिज्यिक परिसर प्रस्तावित है। पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ऐसे स्थल पर पेड़ काटे जाने के पूर्व यह विचार किया जाना चाहिए था कि इन वृक्षों को आसपास उपलब्ध सार्वजनिक रिक्त भूमि पर रिलोकेट कर दिए जाते, जिससे कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान होता और आसपास रहने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त ऑक्सीजन एवं वृक्षों की छाया से समुचित लाभ मिलता रहता।

प्रोजेक्ट समदड़िया गोल्ड कॉम्पलेक्स, रतलाम शहर में प्रस्तावित है जहां हाउसिंग बोर्ड की लगभग 2.50 हेक्टेयर भूमि पर कमर्शियल काम्पलेक्स प्रस्तावित है। इस प्रकरण में स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी (SEAC) द्वारा प्रेषित अनुशंसा में उसे वायलेशन प्रकरण दर्शाया गया है। क्योंकि यहाँ पर लगभग 211 वृक्ष अनुमति प्राप्त होने के पूर्व ही काट दिए गए। हालांकि

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इसमें SEAC ने लिखा है कि यह वृक्ष प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व ही समदड़िया बिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा नगर निगम की अनुमति से काटे गये हैं। उल्लेखनीय होगा कि नगर निगम से प्रोजेक्ट आवंटन से पूर्व समदड़िया बिल्डर्स प्रा. लि. किस हैसियत से नगर निगम रतलाम से वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त की गई ? तथा नगर निगम द्वारा किन आधार एवं शर्तों पर पेड़ काटने की अनुमति दी गई ? यह स्थल भी रतलाम शहर की घनी आबादी के बीच स्थित है।नगर निगम द्वारा जारी पत्र दिनांक 09.01.2023 में 156 वृक्षों को काटे जाने की अनुमति दी गई है, जबकि परियोजना स्थल पर 156 वृक्ष काटे गए है। 55 अतिरिक्त वृक्षों के काटे जाने सम्बंधित अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है। समदड़िया बिल्डर्स, रतलाम द्वारा की गई कार्यवाही SEAC द्वारा उनके मत में उल्लंघन (Violation) की प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रकरण को SEAC प्रेषित किया जाये। साथ ही उल्लंघन (Violation) के प्रकरणों पर कार्यवाही करने हेतु मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों के नियमितीकरण पर रोक लगाई गई है। अतः उचित होगा कि दोनों प्रकरणों में विस्तृत विवरण भारत सरकार को भेज कर उनके OM दिनांक 29.3.2022 के संदर्भ में कार्यवाही करने एवं निर्देश जारी करने हेतु भेजा जावे। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

नीतिगत निर्णयः–

I. SEAC द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित वे प्रकरण जिनमे पर्यावरणीय संवेदनशीलता या कानूनी प्रावधाने या अन्य कारणों से खनन क्षेत्र अथवा उत्पादन क्षमता या दोनों कम किये जाने की स्थिती निर्मित हो रही है, एसे प्रकरणां मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुर्नरीक्षित खनन योजना अनिवार्यतः प्राप्त की जाये तदनुसार प्रकरण में अग्रिम अनुसंशा की जाये। इसी प्रकारं ToR हेतु अनुसंशित वे प्रकरण जिनमे पर्यावरणीय संवेदनशीलता या कानूनी प्रावधानों या अन्य करणों से खनन क्षेत्र कम किये जाने के कारण उत्पादन क्षमता मे भी संशेधन किया जाना आवश्यक है, उन प्रकरणों मे खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. SEAC द्वारा अनुसंशित एसे समस्त प्रकरण जिनमे परियोजना प्रस्तावक/अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के निर्देशानुसार चाही गई जानकारी आफलाईन न लेते हुये ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करवाये जाने के उपरांत ही प्रकरण में यथोचित अनुसंशा किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष